शोध मंथन Vol. XII No.IV Oct.-Dec. 2021 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.354 (SJIF)

भारतीय राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की बढ़ती भागीदारीः एक विश्लेषण

डॉ० शिवाली अग्रवाल
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
इस्माईल नेशनल महिला (पी०जी०) कॉलेज
मेरठ

प्राप्तिः 27.08.2021
स्वीकृतः 31.08.2021

धीरेन्द्र कुमार
शोध छात्र
राजनीति विज्ञान विभाग
इस्माईल नेशनल महिला (पी०जी०) कॉलेज, मेरठ
ईमेलः *dr-vandanate@gmail.com*

हमारे देश में प्राचीन काल में लेकर वर्तमान तक महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान कर उनकी स्थिति उच्च एवं पूज्यनीय तो बनी रही परंतु उनको बहुत से अधिकारों और कार्यों को करने से वंचित रहना पड़ा। परिणामस्वरूप लैंगिक विषमता बढ़ती चली गयी, महिलाओं की स्थिति समाज में दयनीय होकर रह गयी है मानो एक उन्नतशील समाज में विकास पर विराम लग गया है। जब तक महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान नहीं किये जायेगे तब तक कोई भी देश कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता; क्योकि किसी भी देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग जब तक उन्नति नहीं करेगा तब तक देश का पूर्ण विकास असम्भव है। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब उस देश के प्रत्येक नागरिक चाहे व महिला हो या पुरूष देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे। उस देश के सभी वर्गों की सभी कार्यो में समान रूप से भागीदारी उस देश के विकास का सूचक है।

प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक एवं पुरूषों के साथ समान भागीदारी की थी। मध्यकाल की विकृतियों ने सामाजिक पतन को बढ़ावा दिया ओर महिलाओं के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न व अत्याचारों में बढोत्तरी हुई, जिसके माध्यम से महिलाओं की स्थिति दयनीय होती चली गयी। विगत शताब्दी में प्रस्तावित विभिन्न सुधारों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति मे कुछ सुधार अवश्य हुए परंतु महिलाओं के प्रति अत्याचारों में भी निरंतर बढोत्तरी हुयी है। महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु जिस प्रकार प्राचीन भारत में सभा, 'समिति' और परिशदों में महिलाएं राजनीति में भाग लेकर प्रभावी और सक्रिय भूमिका का निवर्हन करती थी, ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में राष्ट्रीय पुनः निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अति अनिवार्य है। हमारे देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग होने के बावजूद भी महिलाएं भारतीय राजनीति मे अपना उचित योगदान न दे यह कदापि उचित नहीं है। क्योंकि देश की जनसंख्या का लगभग आधा भाग होने पर भी महिलाओं की स्थिति राजनीति में दयनीय बनी हुई है।[1] हमारा पुरूश प्रधान समाज महिलाओं की राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए गंभीरता के साथ प्रयास नहीं कर रहा है। अगर महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढानी है तो महिलाओं को जागरूक करना होगा। यह भी सत्य है कि जब तक महिलाओं में स्वयं राजनीतिक चेतना का विकास नहीं होता तब तक महिलाओं का भारतीय राजनीति में भागीदारी का स्तर नहीं बढ सकता है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित, संगठित एवं कर्मठ होकर राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ानी होगी।

क्योकि जब तक महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासकीय, मनोरंजन खेल, विज्ञान, साहित्य इत्यादि में स्वयं निर्णय–निर्माण में भागीदारी नहीं होगी तब तक महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के साथ–साथ अन्य क्षेत्रो में भी सशक्तिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, और तब तक महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। राजनीतिक सहभागिता के अन्तर्गत व्यक्ति, समुदाय अथवा समूह प्रशासन के कार्य में भाग लेता है। किसी भी समुदाय के इन कार्यों में भाग लेने की नियति अपने हितो की पूर्ति से हैं। समाज का प्रत्येक समूह या समुदाय के पृथक–पृथक हित नियत होते है और वे निहित हितों की पूर्ति के लिए ही प्रशासनिक कार्यों में भाग लेते हैं। इस प्रकार अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक कार्य में भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता कहा जाता हैं।[2]

भारत के समान ही पाश्चात्य देशों में भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही है। ब्रिटेन एवं अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने कें लिए लगभग सौ साल से भी अधिक समय तक संघर्श करना पड़ा। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में पिछले 226 सालों से एक भी महिला को राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए नहीं चुना गया है। इससे स्पश्ट होता है कि महिलाओं की राजनीति में स्थिति, भारत में ही नहीं विदेशों में भी निम्न स्तर पर है। आज भी अमेरिका के अलावा जर्मनी, चीन, फ्रॉस, रूस आदि देशों में भी महिलाओं की राजनीति में सहभागिता अत्यन्त कम है।[3]

विश्व के अनेक देशों में तो महिलाओं को अपना महत्वपूर्ण मतदान अधिकार प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। चंद्रमा पर अपना पताका फहराने वाले देश और वैज्ञानिक प्रगति के धनी देश अमेरिका की महिलाओं को मतदान अधिकार 1944 मे मिला था। यह ही नहीं इंग्लैंड जैसे प्रबल और संविधान प्रिय देश की महिलाओं को 'संफेजिस्ट मूवमैंट' जैसे आंदोलन के माध्यम से दीर्घकाल तक मताधिकार के लिए आंदोलन करना पड़ा तब जाकर उनको 1918 में यह मताधिकार प्राप्त हो सका। साहित्य और संस्कृति में अग्रणी माने जाने वाले फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1928 में मिल सका।[4] आज भी अनेक देशों की महिलाएं अपने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। महिलाओं को यह अधिकार पुरूषों के समान ही मिलना चाहिए।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, स्विरजरलैंड, जर्मनी, स्वीडन, स्पेन आदि देशों में भी महिलाओं को निश्चित रूप से आरक्षण दिया गया है।[5] ऐसा प्रयास भारत में बार–बार असफल हो रहा है। भारत में 73वें व 74वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्त्तव्य सभी न केवल महिलाओं को पुरूषों के समान समानता प्रदान करते है। बल्कि उन अधिकारो की रक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करते है जो उनको प्रदान किये गये है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं जिसका उद्देश्य महिलाओं सहित अपने सभी नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता पद और अवसरों की समानता उपलब्ध करना है।

संविधान के अनुच्छेद–14 के अनुसार राज्य सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष संरक्षण की व्यवस्था करता हैं।[6]

अगर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण लोकसभा की सीटों में दिया जाता है, तो 180–185 सीटें महिलाओं को देनी होगी जिससे पुरूषों की सीटों में कमी आयेगी। भारत में लोकसभा में महिलाओं की स्थिति का ठीक से अवलोकन करने के लिए 1952 से लेकर 2014 तक की लोकसभाओं में निर्वाचित महिलाओं का निम्न तालिका के माध्यम से अवलोकन किया जा सकता है।

लोकसभा में महिलाओं का बढ़ता प्रतिनिधित्व 1952 से 2019 तक

वर्ष	कुल महिला उम्मीदवार	विजयी उम्मीदवार	सफलता प्रतिशत में
1952	43	14	32.55 प्रतिशत
1957	45	22	48.88 प्रतिशत
1962	66	31	46.96 प्रतिशत
1967	68	29	42.64 प्रतिशत
1971	83	29	34.93 प्रतिशत
1977	70	19	27.14 प्रतिशत
1980	143	28	19.58 प्रतिशत
1984	162	42	25.92 प्रतिशत
1989	198	29	14.64 प्रतिशत
1991	326	37	11.34 प्रतिशत
1996	599	40	06.67 प्रतिशत
1998	274	43	15.69 प्रतिशत
1999	285	49	17.19 प्रतिशत
2004	355	46	12.67 प्रतिशत
2009	556	59	10.61 प्रतिशत
2014	644	62	09.62 प्रतिशत
2019	716	78	10.89 प्रतिशत

शोधार्थी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किये गये।

इस प्रकार उपरोक्त आंकडों के विश्लेशण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की पर्याप्त बढोत्तरी नहीं हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारतीय लोकतंत्र में अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने वाली महिलाओं की स्थिति भारतीय राजनीति में दयनीय क्यों बनी हुई है? आज महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, विज्ञान और शैक्षणिक क्षेत्रों में उन्नति की ओर लगातार बढते कदम भारतीय राजनीति में पीछे क्यों रह रहे हैं। भारत में 1952 में पहली लोक सभा में कुछ 43 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया जिसमें निर्वाचित महिलाओं की संख्या 14 थी। जबकि 17वीं लोकसभा 2019 में 716 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया परंतु भारतीय राजनीति का यह दुर्भाग्य ही कहिये कि केवल 78 महिला उम्मीदवार ही सफल हो सकी। यह विजयी महिला उम्मीदवारो का लगभग 10.89 प्रतिशत है जो अति न्यून है एवं स्वस्थ लोकतंत्र एवं सुदृढ़ सामाजिक संरचना के

विपरीत है। अब यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वे कौन से कारण व परिस्थितियां है जिनकी वजह से देश में नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं का समुचित प्रतिशत नहीं है? उपरोक्त तालिका के माध्यम से ज्ञात होता है कि लोक सभाओं में महिलाओं की संख्या जिस गति के साथ बढनी चाहिए थी वह उस गति से नहीं बढ पा रही है।

1952 से लेकर 2014 तक विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं निर्वाचित तो हुई है परन्तु संविधान के माध्यम से जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वह संख्या उसके अनुकूल कदापि नही है। क्योंकि भारतीय संविधान में महिलाओं को राजनीति में लाने के लिए सीटों में आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी है उसके अनुसार महिलाओं की राजनीति में भागीदारी में प्रभावशाली बढोत्तरी की आकांक्षा थी वह प्राप्त नहीं हो रही है, और जो महिला उम्मीदवार निर्वाचित हो रही है वह भी अपने राजनीतिक अधिकारो का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है।

अगर हम महिलाओं के भारतीय राजनीति में घटती सहभागिता के कारको को जानने का प्रयास करे तो वह कई प्रकार के हो सकते है।

- आज भी अधिकतर महिलाएं आर्थिक रूप से पुरूषों पर ही निर्भर करती है इसलिए वह आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हुयी है। यह निर्भरता ही भारतीय राजनीति में महिलाओं की पिछड़ी हुयी स्थिति का एक कारण है।

- महिलाओं का कम शिक्षित होना भी उनकी राजनीतिक भागीदारी मे गिरावट का एक अहम कारक है, क्योंकि अशिक्षित होने के कारण वह अपने अधिकारों को जान नहीं पाती है और इस कारण से वह राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाती।

- भारतीय राजनीति का दूषित वातावरण भी महिलाओं को प्रभावित करता है क्योकि आज देश की सबसे बड़ी महापंचायत में लोग अपशब्दों को प्रयोग करने लगे है और एक दूसरे के कपडे तक फाड़ने को तैयार रहते है। यह बड़े ही शर्म की बात है कि राजनेता अपने स्वार्थ के कारण किस हद तक गिर गये है।

- भारत में महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आज भी द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है। जिस कारण वह अपने निर्णय लेने में अग्रणी नहीं रह पाती है।

- महिलाओं के साथ बढते हुए अपराधीकरण ने महिलाओं को भारतीय राजनीति में आने से रोका है और महिलाओं में अपने आप को पुरूषों से कम शक्तिशाली होने की धारण ने इनको कमजोर व निर्बल बना दिया है।

भारतीय राजनीति में घटती महिलाओं की सहभागिता को दूर करने के प्रयास निम्न प्रकार वर्णित है।
जैसे

- देश में अपनी केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर महिलाओं की शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे महिलाओं का शैक्षिक स्तर उच्च हो सके। इससे महिलाएं शिक्षित होने के साथ–साथ महिलाओं को बौद्धिक विकास भी हो सकेगा। ऐसा नहीं है कि विभिन्न सरकारों द्वारा महिला शिक्षा हेतु प्रयास नहीं किये जा रहे है, बल्कि महिलाएं उसका उचित लाभ नहीं उठा पा रही है।

अब आवश्यकता है कि इन कार्यक्रमों के उचित क्रियान्वयन करने की। आज समाज में महिलाओं के साथ बढते अपराधों को रोकना महिला सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।

- महिलाओं के खिलाफ बढती हुयी हिंसा भी उनके राजनीतिक परिवेश में आने पर रोक लगाती है इसलिए महिलाओं को सुरक्षा के लिए पारित कानूनों का उचित ढंग से पालन कराना होगा।
- सभी राजनीतिक पार्टियों को अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिए, जिससे की जो भी व्यक्ति निर्वाचित होगा वह साफ छवि वाला होगा और वह ईमानदारी से राजनीतिक कार्य करेगा।
- महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए विभिन्न सरकारी गैर–सरकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे है जिन कार्यक्रमों का अधिकांश महिलाओं को ज्ञान न होने के कारण वे उनका लाभ नहीं उठा पाती है। इसलिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए व कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आत्म निर्भर बनाया जा सकता है। इससे महिलाओं में अपने आप को पुरूषों से कम शक्तिशाली होने की धारणा का अंत होगा।

भारत में अगर महिलाओं का राजनीति में योगदान बढाना चाहते है तो महिलाओं को वे समस्त अवसर प्रदान करने होंगे जो उनको राजनीति में आने के लिए आवश्यक है क्योंकि देश की जनसंख्या का आधा भाग होने के कारण महिलाओं का राजनीति में भागीदारी का होना अति आवश्यक है। कोई भी समाज जब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसका आधा भाग शोषित और अविकसित है। इसलिए महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढाने के लिए उनको शिक्षित कर राजनीतिक जागरूकता अति आवश्यक है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में हर उपेक्षित वर्ग की आवाज का प्रतिनिधित्व होना जहां लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। वही दूसरी और उनकी उपेक्षाओ को तकलीफो को खत्म करने का एक संवैधानिक मंच भी प्रदान करता है। इन बातों से सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को निश्चित ही दिशा मिलेगी। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पुरूषों के समान ही महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो गया इसी के माध्यम से राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा, विधान परिषद् आदि में भी महिलाओ ने प्रवेश कर इसका लाभ उठाया है।

संदर्भ सूची

1. मोदी, डॉ0 महावीर प्रसाद एवं मोदी, डॉ0 सरोज, 'भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ, 2008, पृ0सं0–91
2. वर्थवाल, चंद्रपकाश, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, जुलाई–दिसंबर, 2015, पृ0सं0–245
3. वही, पृ0सं0–246
4. मोदी, डॉ0 महावीर प्रसाद एवं मोदी, डॉ0 सरोज, 'भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ, 2008, पृ0सं0–93
5. वर्थवाल, चंद्रपकाश, भारतीय राजनीति विज्ञान शोधपत्रिका, जुलाई–दिसंबर, 2015, पृ0सं0–245
6. त्रिपाठी, डॉ0 डी0सी0 एवं पारिक, डॉ0 ममता, 'भारतीय शासन एवं राजनीति सिद्धांत एवं व्यवहार 'साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा 2015, पृ0सं0–165